

FORM-II

(for Projects Other than linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector

No- 1/2018

Dated- 17 Jan.,2018

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

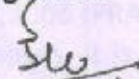
In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act,2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **286.47** hectare of forest land proposed to be diverted in favour of **Shri Manoj Kumar Goyal, Executive Engineer, Water Resources Department Div., iii Baran** (name of user agency) **Hathiadeh Medium Irrigation Project** (purpose for diversion of forest land) in **Baran** district falls within jurisdiction of **Karvari Khurd, Karvari Kalan, Bamandeh, Gordhanpura(Banjh Amali) (4) Villages In Kishanganj - Tehsil** It is Further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **286.47** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **A** to **C**.
- (b) the proppsal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers,who eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Karvari Kalan & Sunwas (2) in Kishanganj** is enclosed as annexure A(1) to annexure A(2)

- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it,
- (f) the rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) of the FRA.

Encl; As above

Signature



(Dr. S.P. Singh)

President of District Level committees &
District Collector, Baran

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारों

कार्यालय जिला कलक्टर, बारां एवं अध्यक्ष जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां (राज0)

क्रमांक / रीडर / डी0एम0 / वनाधिकार / 18 / 114

दिनांक- 17.01.2018

जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां की बैठक दिनांक 17.01.2018 कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 18.01.2018 को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां की बैठक आहूत की गई जिसमें अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 एवं नियम, 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 की धारा, 3(1) के तहत जिला स्तरीय वनाधिकार समिति में लंबित आवासीय कुल 249 एकल दावों एवं धारा, 3(2) के तहत हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना तहसील किशनगंज के डूब क्षेत्र में आने वाली वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव एवं अकावर परबत जेम से मोतीपुरा थर्मल पावर प्लांट तहसील-छीपाबडीह में जाने वाली पाईप लाईन के प्रत्यावित प्रस्ताव पर अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहे जाने पर, प्राप्त प्रस्तावों को समिति के समक्ष रखा गया।

1- वनाधिकार एकल दावों का निस्तारण धारा 3(1) के दावे-

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, किशनगंज से आवासीय कुल 249 दावे प्राप्त होने पर इन सभी दावों को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति में रखा गया। दावों का अवलोकन से पाया गया कि सभी दावों में साक्ष्य यथा राशनकार्ड, शपथपत्र, पहचानपत्र, आधार कार्ड, नल व बिजली से संबंधी कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है जबकि गुगल इमेज के आधार पर कुछ दावेदारों का रहवास प्रमाणित है। बिना साक्ष्य के उक्त दावेदारों को अधिकार पत्र दिया जाना संभव नहीं है। अधिनियम के प्रावधानों के तहत यदि साक्ष्य से कब्जा प्रमाणित है तो अधिकार पत्र दिया जा सकता है। अतः सभी 249 दावों को पुनः जाँच एवं साक्ष्य की दावेदारों से पूर्ति कराने हेतु उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, किशनगंज को दावे प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। उपखण्ड अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति, किशनगंज का पाबन्द किया जाता है कि तत्काल ग्राम समा आयोजित कर, सभी दावों में दावेदार के कब्जा व साक्ष्य से संबंधित दस्तावेजों यथा बड़े बुरुग के साक्ष्य, राशनकार्ड, वोटर पहचान पत्र, नल व बिजली के बिल, आधारकार्ड, शपथ पत्र व अन्य कोई साक्ष्य है तो पञ्चावली में शामिल करकर, पुनः आदेश पारित कर, स्वीकृत दावों को तीन दिवस में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां में भिजवाये जाने के निर्देश दिये गये।

2- अधिशायी अभियंता, जल संसाधन खण्ड तृतीय, बारां (हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना)

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 एवं संशोधित नियम, 2012 की धारा, 3(2) के तहत अधिशायी अभियंता, जल संसाधन खण्ड तृतीय, बारां द्वारा हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना डूब क्षेत्र में वन भूमि रकबा 286.47 है0 निहित होने से, उक्त भूमि का उक्त अधिनियम के तहत प्रयुक्त वन भूमि पर अनापत्ति चाहे जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष रखा गया। इस परियोजना के प्रस्ताव में ग्राम पंचायत, सुवांस के ग्रामों की कुल 69.89 है0 भूमि का ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति, सुवांस की बैठक दिनांक 27.12.2017 को अनुमोदन किया गया एवं ग्राम पंचायत करवारीकलों के ग्रामों की कुल 216.58 है0 का ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति, करवारीकलों की बैठक दिनांक 27.12.2017 को अनुमोदन किया गया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत के अनुमोदन होने पर एवं दावा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, किशनगंज को प्राप्त होने पर, उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव का दिनांक 08.01.2018 को अनुमोदन किया है। वन विभाग से भी उक्त प्रस्ताव के अनुमोदन करने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि

df

हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रत्यावर्तन भूमि पर उक्त अधिनियम के तहत कोई दावा लाबेत या प्रक्रियाधीन नहीं है। अतः अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की भावना), अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 की धारा 3(2) के तहत अधिशाही अभियंता, जल संसाधन खण्ड तृतीय, बारा द्वारा हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना डूब हेतु अनापत्ति जारी की जाती है। अतः निर्धारित प्रपत्र(फर्म-गा) में प्रमाण पत्र जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

क्र.सं.	यूजर एजेंसी का नाम	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रयोजन	उपखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत अधीन वन भूमि		प्रस्तावित वन भूमि का कुल रकबा		ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों/ग्राम समिति की बैठक दिनांक	उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति में प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक
				ग्राम व ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत करवरीकलों	खण्ड	रकबा (हेक्टर में)		
1.	अधिशाही अभियंता, जल संसाधन खण्ड तृतीय, बारा	हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना डूब क्षेत्र की वन भूमि प्रत्यावर्तन	विश्वनाथ	करवरीकलें	ग्राम पंचायत करवरीकलों	68/1	10.60	27.12.2017	08.01.2018
						340/1	13.92		
						341/1	05.56		
						337/1	0.04		
						338/1	0.22		
						339/1	29.73		
						353/1	04.86		
						260	4.86		
						584/276	5.18		
						254/1	29.14		
						255	8.33		
						256	0.98		
						614/280	2.75		
						275/1	26.67		
						274	24.93		
				करवरीकलें		342	0.34		
						265	1.62		
						286	7.45		
						267	10.20		
						271	2.59		
						273	16.19		
						581/272	1.62		
						345	0.27		
						405/1	7.52		
						514	1.62		
						515	0.32		
						516	0.16		
							151.65		
						115	4.86		
						117	2.35		
						118/1	0.80		
							8.01		

44

			ग्राम पंचायत सुलास	65 88/63 64 71 70 73/84 85/72	20.08 9.71 0.48 1.46 12.14 4.86 13.15 61.88	27.12.2017	08.01.2018
			गोरखनपुरा उत्क वांशआमली				
महायोग				286.47 है०			

3- उपमुख्य अभियंता (सिविल) छबडा तापीय विद्युत परियोजना, छबडा (अकावद परवन डेम से मोतीपुरा धर्मल पावर प्लान्ट जाने वाली पार्इप लाईन)

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 एवं नियम, 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 की धारा, 3(2) के तहत उपमुख्य अभियंता (सिविल) छबडा तापीय विद्युत परियोजना, छबडा द्वारा अकावद परवन डेम से मोतीपुरा धर्मल पावर प्लान्ट ईकाई 5 व 6 की पानी की आपूर्ति के लिये पार्इप लाईन बिछाने में प्रयुक्त वन भूमि रकबा 4.910 है० के तहत प्रयुक्त वन भूमि पर अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहे जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष रखा गया। इस प्रस्ताव में ग्राम पंचायत, मौखमपुरा के 3 ग्रामों की कुल 4.819 है० भूमि का ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति, मौखमपुरा की बैठक दिनांक 2.10.2017 को अनुमोदन किया गया एवं ग्राम पंचायत राई के 1 ग्राम की कुल 0.091 है० का ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति, राई की बैठक दिनांक 2.10.2017 को अनुमोदन किया गया है। दोनों ग्राम पंचायत के अनुमोदन होने पर एवं दावा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, छीपाबडीद को प्राप्त होने पर, उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, छीपाबडीद द्वारा उक्त प्रस्ताव का दिनांक 27.11.2017 को अनुमोदन किया है। वन विभाग से भी उक्त प्रस्ताव के अनुमोदन करने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अकावद परवन डेम से मोतीपुरा धर्मल पावर प्लान्ट जाने वाली पार्इप लाईन के उपयोग में ली जाने वाली वन भूमि पर उक्त अधिनियम के तहत कोई दावा लंबित या प्रक्रियाधीन नहीं है। अतः अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता), अधिनियम 2006 एवं नियम, 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 की धारा, 3(2) के तहत उपमुख्य अभियंता (सिविल) छबडा तापीय विद्युत परियोजना, छबडा द्वारा अकावद परवन डेम से मोतीपुरा धर्मल पावर प्लान्ट ईकाई 5 व 6 की पानी की आपूर्ति के लिये पार्इप लाईन बिछाने हेतु अनापत्ति जारी की जाती है। अतः निर्धारित प्रपत्र(फार्म-1) में प्रमाण पत्र जारी किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

क्रमांक	ग्राम एवं स्थानीय का नाम	प्रस्तावित हेतु प्रस्तावित भूमि का प्रयोजन	उपखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत अर्थात् वन भूमि ग्राम व ग्राम पंचायत	प्रस्तावित वन भूमि का कुल रकबा (हैक्टर में)	ग्राम स्तरीय वनाधिकार समितियों/ग्राम सभा की बैठक दिनांक	उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति में प्रस्ताव अनुमोदन दिनांक
					सब-नं०	रकबा	
1.	उपमुख्य अभियंता (सिविल) छबडा तापीय विद्युत परियोजना, छबडा	अकावद परवन डेम से मोतीपुरा धर्मल पावर प्लान्ट ईकाई 5 व 6 की पानी की आपूर्ति के लिये पार्इप लाईन	छीपाबडीद	पीपल्या वाता	1	1.267	
				मौखमपुरा	84 86 88 89 90	0.789 0.084 0.536 0.227 0.029	02.10.2017

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

ग्राम		519	1.631	27.11.2017
पंचायत	मौखमपुरा	159	3.295	
कोहडी	राई	2	0.257	02.10.2017
रांवा		25	0.078	
			0.013	
			0.091	
			4.910 है०	

महायोग

(डॉ० एस.पी. सिंह)

अध्यक्ष एवं जिला कलक्टर
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां

रजि० मीना

(सरोज मीना)

सदस्य, जिला स्तरीय वनाधिकार
समिति, बारां

(सजीव कपूर)

उप सचिव
जिला स्तरीय वनाधिकार
समिति, बारां

(कृष्णमुरारी मीना)

सदस्य, जिला स्तरीय वनाधिकार
समिति, बारां

(रामजीवन मीना)

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदेन
पदेन परियोजना अधिकारी-माडा जिला परिषद, बारां
परि० अधि० माडा जिला परिषद, बारां

(निर्मला मीना)

सदस्य, जिला स्तरीय वनाधिकार
समिति, बारां

दिनांक- 17.01.2018

कमांक/रीडर/डी०एम०/वनाधिकार/18/ 75-87

निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1- अतिरिक्त आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान उदयपुर।

2. उप वन सहायक, बारां

3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बारां/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, बारां

4. उपखण्ड अधिकारी किशनगंज/छीपावडौद 5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, किशनगंज/छीपावडौद

6. अधिशासी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड तृतीय, बारां

7- उपमुख्य अभियन्ता (सिविल) छबडा तापीय विद्युत परियोजना, छबडा

8. श्री कृष्णमुरारी मीना, सदस्य जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां पता-ग्राम टिगरी,

पोस्ट-हानीहेडा, तहसील-अटल जिला-बारां

9. श्रीमती निर्मलाकुमारी मीना, सदस्य, जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां पता-भीलों का मौहल्ला ग्राम व पोस्ट-मुडला बिसौली, तहसील-अटल जिला-बारां

10. श्रीमती सरोज मीना, सदस्य, जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, बारां पता-ग्राम मोरेली, पोस्ट-सेमली, तहसील-छबडा जिला-बारां

सचिव,

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (माडा)

जिला परिषद, बारां
अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदेन
परि० अधि० माडा जिला परिषद, बारां

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज जिला-बारा

क्रमांक :-

दिनांक :-

-:: उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति ::-

आज दिनांक १८-१-१८ को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति किशनगंज की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 एवं नियम-2008 तथा संशोधित नियम-2012 की धारा-3(1) व (3)2 के तहत प्रभावित वन भूमि पर उक्त अधिसूचना के तहत कुल 135 दावे प्राप्त हुए हैं, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कुल 54 दावे निरस्त किये गये तथा कुल 13 दावों को अधिकार पत्र जारी करने कि अनुशंसा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति किशनगंज द्वारा की गयी है तथा जिला स्तरीय वनाधिकार समिति बारा को अनुशंसा के साथ अग्रप्रेषित की गयी है। वर्तमान में अब कोई दावा (अधिकार पत्र) उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति किशनगंज के समक्ष लम्बित या प्रक्रियाधीन नहीं है।

संबंधित उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा प्रभावित वन भूमि प्रत्यावर्तन की वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्रावधानानुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 एवं नियम-2008 तथा संशोधित नियम-2012 की धारा-3(1) व (3)2 के तहत हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए प्रभावित वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की जाती है।

क्र. स.	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र का रकबा
					हेक्टर	हेक्टर
1	2	3	4	5	6	7
1	करवरीकला	किशनगंज	मौजा, करवरीखुर्द	68/1, 340/1, 341/1, 337/1, 338/1, 339/1, 353/1	94.34	64.93
2			मौजा, करवरीकला	260, 284/276, 254/1, 255, 256, 614/280, 275/1, 274, 342, 265, 266, 267, 271, 273, 591/272, 345, 405/1, 514, 515, 516	404.03	151.65
1	सुबांस	किशनगंज	मौजा, बामनदेह	115, 117, 118/1	78.27	8.01
2			मौजा, गोरधनपुरा उर्फ बांझ आमली	65, 86/63, 64, 71, 70, 73/84, 85/72	91.91	61.88
			कुल योग	37	668.58	286.47

Ric Kene
विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, किशनगंज

मनोनित सदस्य

Ric Kene
क्षेत्रीय वन अधिकारी,
किशनगंज
मनोनित सदस्य

Ric Kene
उपखण्ड अधिकारी,
किशनगंज
मनोनित सदस्य

Annexure-I

आज दिनांक ११-१०-२०१८ को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति किशनगंज की बैठक आहूत की गई जिसमें ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति से वन क्षेत्र में पड़ने वाली हथियादेह मध्यम सिंवाई परियोजना के बांध के लिए प्राप्त प्रस्ताव संख्या १ जिसका ग्राम स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है, उसको उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनुमोदित कर जिला स्तरीय वनाधिकार समिति हेतु प्रेषित करने का अनुमोदन किया जाता है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम, २००६ एवं नियम २००८ तथा संशोधित नियम-२०१२ की धारा ३ (१) व ३ (२) के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई दावे लखित नहीं हैं। अतः सर्वसम्मति से उक्त बांध के उक्त प्रस्तावित वन भूमि में निर्माण हेतु अभिशंका की जाती है।

२१/१०
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड

रेंजर वन क्षेत्र

विकास अधिकारी
पं.सं.

On 22 July 1944, the 1st

[illegible][illegible]

Left anterior superior iliac spine. 4/11

2. 1. $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial z}$ (Satz 1)

[illegible]

u = correct answer
m/w =

2. Small solid square tile

6. 8th grade fine arts P.O. 053

୧୩-୧୨-୨୦୧୮

2281917 62-38001 25 541 13

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २०१२ ॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

[illegible]

2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-2619-2620-2621-2622-2623-2624-2625-2626-2627-2628-2629-2630-2631-2632-2633-2634-2635-2636-2637-2638-2639-2640-2641-2642-2643-2644-2645-2646-2647-2648-2649-2650-2651-2652-2653-2654-2655-2656-2657-2658-2659-2660-2661-2662-2663-2664-2665-2666-2667-2668-2669-2670-2671-2672-2673-2674-2675-2676-2677-2678-2679-2680-2681-2682-2683-2684-2685-2686-2687-2688-2689-2690-2691-2692-2693-2694-2695-2696-2697-2698-2699-2700-2701-2702-2703-2704-2705-2706-2707-2708-2709-2710-2711-2712-2713-2714-2715-2716-2717-2718-2719-2720-2721-2722-2723-2724-2725-2726-2727-2728-2729-2730-2731-2732-2733-2734-2735-2736-2737-2738-2739-2740-2741-2742-2743-2744-2745-2746-2747-2748-2749-2750-2751-2752-2753-2754-2755-2756-2757-2758-2759-2760-2761-2762-2763-2764-2765-2766-2767-2768-2769-2770-2771-2772-2773-2774-2775-2776-2777-2778-2779-2780-2781-2782-2783-2784-2785-2786-2787-2788-2789-2790-2791-2792-2793-2794-2795-2796-2797-2798-2799-2800-2801-2802-2803-2804-2805-2806-2807-2808-2809-2810-2811-2812-2813-2814-2815-2816-2817-2818-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829-2830-2831-2832-2833-2834-2835-2836-2837-2838-2839-2840-2841

31306-1187-0513

	no dalle	figlio	phases	
--	----------	--------	--------	--

[illegible][illegible]

10

100

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

10

10

100

10-11-1950 2.5 = 2.12.51-52

[illegible][illegible]

189-210) 01 01/01/01 01/01/01 01/01/01

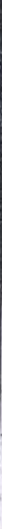
Handwritten notes in Devanagari script, likely bleed-through from the reverse side of the page.

[Faint handwritten notes]

3632413	1002-020
---------	----------

66	2000000
----	---------

39.1337	39.34	64.33
---------	-------	-------

[illegible]

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

[illegible]

अवकाश १९८० के अवकाश १९८०-८१
एक अवकाश की मांग की गई थी २००६
३० अक्टूबर के बाद २००७ के अवकाश
अवकाश की अवकाश की गई थी

[illegible]

परिशिष्ट

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) के तहत सरकार द्वारा प्रबंधित सुविधाओं हेतु वन भूमि को गैर वन उद्देश्यों हेतु विपथन के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रपत्र।

प्रपत्र क
(पैरा 2.2(1) देखें)
(यूजर एजेंसी द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना विवरण :

(1) प्रस्तावित परियोजना/योजना जिसके लिए वन भूमि वांछित है, के विषय में लघु कथन।
एथीमादेह मध्यम सिंगर परियोजना

(2) वांछित वन भूमि का विवरण (2 विकल्पों का उल्लेख करें)

क स्थान-सर्वे संख्या/कम्पार्टमेंट संख्या *एथीमादेह मध्यम सिंगर परियोजना*

ख क्षेत्र का विस्तार (हेक्टेयर में) *286.50 हे०.*

ग वन मंडल - *रेज वन मंडल*

घ 1:50,000 के स्केल मैप पर निकटवर्ती वन की सीमा तथा वांछित वन भूमि को नक्शों पर दिखाएं

(3) प्रस्तावित वन भूमि में परियोजना लगाने की औचित्यता *बॉर्डर सिंगर हेतु उपयुक्त स्थान।*

(4) प्रत्येक हेक्टेयर में काटे जाने वाले तथा लगाए रखे जाने वाले वृक्षों की संख्या - *नहीं*

2. प्रस्तावित मवन/गतिविधि क्षेत्र मैप के साथ वांछित कुल वन भूमि का उद्देश्यवार अलग-अलग विवरण।

3. इस आशय की पुष्टि कि यूजर एजेंसी काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या की दोगुनी संख्या में उस परियोजना अथवा निकटवर्ती क्षेत्र में वृक्ष-लगाएगी तथा कम से कम 5 वर्षों तक उन वृक्षों की सुरक्षा तथा अनुरक्षण हेतु वार्षिक राशि उपलब्ध कराएगी (विवरण संलग्न करें)।

4. ग्राम सभा की संस्तुति - स्वीकृत/अस्वीकृत

(जैसा भी मामला हो (✓) का निशान लगाएं)। (ग्राम सभा के संकल्प की प्रति संलग्न करें)

यूजर एजेंसी हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर

(बड़े अक्षरों में नाम)

(मनीज कुमार गौयल)

पता

अधिराजी अभिरामा

जन ससाधन खण्ड तृतीय

बाराँ (राज्य)

तिथि.....

स्थान.....

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(रेज वन अधिकारी द्वारा प्राप्ति तिथि के साथ भरा जाएगा)

प्रपत्र ख
(पैरा 2.2(4) देखें)
(संबंधित रेंज वन अधिकारी के द्वारा भरा जाएगा)

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

परियोजना/योजना का स्थान

- (1) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र - राजस्थान
(2) जिला - बीकानेर
(3) वन विभाग - रेंज विभाग

(4) प्रस्तावित वन भूमि (2 विकल्प उल्लेख करने हैं)

क स्थान-सर्वे संख्या/कम्पार्टमेंट संख्या 6 किमादेह मध्यम सिंचाई परियोजना में प्रभावित
ख क्षेत्र का विस्तार (हेक्टेयर में) - 286.50 है

क्या यह जैविक रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर इत्यादि का भाग है। नहीं

प्रस्ताव की स्वीकृति (दो विकल्पों के लिए अलग-अलग) पर उचित विचार के साथ निरीक्षण दौरा किये जाने का उल्लेख करते हुए स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न करें।

प्रस्ताव की स्वीकृति अथवा अन्य बातों हेतु रेंज वन अधिकारी की विनिर्दिष्ट संस्तुति तथा बेहतर विचार।

भूपेन्द्र सिंह
नाम
कार्यालय मुहर

रेंज वन अधिकारी के हस्ताक्षर
क्षेत्रीय वन अधिकारी
नाम भूपेन्द्र सिंह
कार्यालय मुहर

उल्लेख करते हुए स्वीकृत/अस्वीकृत

वन मंडल अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम.....
कार्यालय मुहर.....

कार्यालय ग्राम पंचायत सुवास जिला-बारा

क्रमांक :- ०१३/२०१७/१५-५

दिनांक :-

:- ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति :- २५.१२.१७

आज दिनांक २७.१२.१७ को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति सुवास की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें निर्वाचित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-२००६ एवं नियम-२००८ तथा संशोधित नियम-२०१२ की धारा-३(१) व (३)२ के तहत प्रभावित वन भूमि पर उक्त अधिसूचना के तहत कुल १११.८८ दावे प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अधिकार पत्र जारी करने की अनुशंसा ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति सुवास द्वारा की गयी है तथा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति किशनगंज को अनुशंसा के साथ अग्रोपित की गयी है। वर्तमान में अब कोई दावा (अधिकार पत्र) ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति सुवास के समक्ष लम्बित या प्रक्रियाधीन नहीं है।

संबंधित ग्राम सभा द्वारा प्रभावित वन भूमि प्रत्यावर्तन की वन संरक्षण अधिनियम-१९८० के प्रावधानानुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-२००६ एवं नियम-२००८ तथा संशोधित नियम-२०१२ की धारा-३(१) व (३)२ के तहत हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए प्रभावित वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की जाती है।

क्र. स.	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा हेक्टर	हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र का रकबा हेक्टर
१	२	३	४	५	६	७
१			मौजा, बामनदेह	११५, ११७, ११८/१	७८.२७	८.०१
२	सुवास	किशनगंज	मौजा, गोरधनपुरा उर्फ बांझ आगली	६५, ८६/६३, ६४, ७१, ७०, ७३/६४, ८५/७२	९१.९१	६१.८८
			कुल योग	१०	१७०.१८	६९.८९

वनपाल
मनोनिता सदस्य

साधव
ग्राम पंचायत सुवास
मनोनिता सदस्य

सरपंच
ग्राम पंचायत सुवास
मनोनिता सदस्य

पुनः (३९ सप्ताह)
सदस्य

अतिरिक्त
अतिरिक्त

Annexure-V

आज दिनांक को ग्राम समिति का आयोजन किया गया जिसमें वन क्षेत्र में जाने वाली इथिओपियाई भालुम सिंघाई परियोजना के बांध एवं उसके दूध क्षेत्र में आ रही वनभूमि के संबंध में चर्चा की गई। अतः सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि बांध के निर्माण में किसी भी सदस्य को बांध बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त प्रस्ताव ग्राम समिति के रजिस्टर में दर्ज किया गया है 5859 पर इजाजत है तथा ग्राम समिति में वनाधिकार समिति के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा उन्मुखित दर्ज कराई गई।

Reedhewary
 सरपंच, प्रमुख पंचायत
 वन क्षेत्र
 वन क्षेत्र

2nd person
 वन क्षेत्र

5859
 साक्षर
 वन क्षेत्र

बैरुध कार्यावाही विवरण रजिस्ट्र

1 - 17224 KJH

गाम पंचायत/न्याय उप समिति (ग) बूना/पं पंचायत समिति जाली

21/12
दिनांक 21/12

10

25

[illegible]

Goodbye, sorry
for asking you to do this

Edna
Rosa

[illegible]

31st Dec. 12. 17th Dec. 18th Dec. 19th Dec. 20th Dec. 21st Dec. 22nd Dec. 23rd Dec. 24th Dec. 25th Dec. 26th Dec. 27th Dec. 28th Dec. 29th Dec. 30th Dec. 31st Dec. 1st Jan. 2nd Jan. 3rd Jan. 4th Jan. 5th Jan. 6th Jan. 7th Jan. 8th Jan. 9th Jan. 10th Jan. 11th Jan. 12th Jan. 13th Jan. 14th Jan. 15th Jan. 16th Jan. 17th Jan. 18th Jan. 19th Jan. 20th Jan. 21st Jan. 22nd Jan. 23rd Jan. 24th Jan. 25th Jan. 26th Jan. 27th Jan. 28th Jan. 29th Jan. 30th Jan. 31st Jan. 1st Feb. 2nd Feb. 3rd Feb. 4th Feb. 5th Feb. 6th Feb. 7th Feb. 8th Feb. 9th Feb. 10th Feb. 11th Feb. 12th Feb. 13th Feb. 14th Feb. 15th Feb. 16th Feb. 17th Feb. 18th Feb. 19th Feb. 20th Feb. 21st Feb. 22nd Feb. 23rd Feb. 24th Feb. 25th Feb. 26th Feb. 27th Feb. 28th Feb. 29th Feb. 30th Feb. 1st Mar. 2nd Mar. 3rd Mar. 4th Mar. 5th Mar. 6th Mar. 7th Mar. 8th Mar. 9th Mar. 10th Mar. 11th Mar. 12th Mar. 13th Mar. 14th Mar. 15th Mar. 16th Mar. 17th Mar. 18th Mar. 19th Mar. 20th Mar. 21st Mar. 22nd Mar. 23rd Mar. 24th Mar. 25th Mar. 26th Mar. 27th Mar. 28th Mar. 29th Mar. 30th Mar. 31st Mar. 1st Apr. 2nd Apr. 3rd Apr. 4th Apr. 5th Apr. 6th Apr. 7th Apr. 8th Apr. 9th Apr. 10th Apr. 11th Apr. 12th Apr. 13th Apr. 14th Apr. 15th Apr. 16th Apr. 17th Apr. 18th Apr. 19th Apr. 20th Apr. 21st Apr. 22nd Apr. 23rd Apr. 24th Apr. 25th Apr. 26th Apr. 27th Apr. 28th Apr. 29th Apr. 30th Apr. 1st May. 2nd May. 3rd May. 4th May. 5th May. 6th May. 7th May. 8th May. 9th May. 10th May. 11th May. 12th May. 13th May. 14th May. 15th May. 16th May. 17th May. 18th May. 19th May. 20th May. 21st May. 22nd May. 23rd May. 24th May. 25th May. 26th May. 27th May. 28th May. 29th May. 30th May. 31st May. 1st Jun. 2nd Jun. 3rd Jun. 4th Jun. 5th Jun. 6th Jun. 7th Jun. 8th Jun. 9th Jun. 10th Jun. 11th Jun. 12th Jun. 13th Jun. 14th Jun. 15th Jun. 16th Jun. 17th Jun. 18th Jun. 19th Jun. 20th Jun. 21st Jun. 22nd Jun. 23rd Jun. 24th Jun. 25th Jun. 26th Jun. 27th Jun. 28th Jun. 29th Jun. 30th Jun. 1st Jul. 2nd Jul. 3rd Jul. 4th Jul. 5th Jul. 6th Jul. 7th Jul. 8th Jul. 9th Jul. 10th Jul. 11th Jul. 12th Jul. 13th Jul. 14th Jul. 15th Jul. 16th Jul. 17th Jul. 18th Jul. 19th Jul. 20th Jul. 21st Jul. 22nd Jul. 23rd Jul. 24th Jul. 25th Jul. 26th Jul. 27th Jul. 28th Jul. 29th Jul. 30th Jul. 31st Jul. 1st Aug. 2nd Aug. 3rd Aug. 4th Aug. 5th Aug. 6th Aug. 7th Aug. 8th Aug. 9th Aug. 10th Aug. 11th Aug. 12th Aug. 13th Aug. 14th Aug. 15th Aug. 16th Aug. 17th Aug. 18th Aug. 19th Aug. 20th Aug. 21st Aug. 22nd Aug. 23rd Aug. 24th Aug. 25th Aug. 26th Aug. 27th Aug. 28th Aug. 29th Aug. 30th Aug. 31st Aug. 1st Sep. 2nd Sep. 3rd Sep. 4th Sep. 5th Sep. 6th Sep. 7th Sep. 8th Sep. 9th Sep. 10th Sep. 11th Sep. 12th Sep. 13th Sep. 14th Sep. 15th Sep. 16th Sep. 17th Sep. 18th Sep. 19th Sep. 20th Sep. 21st Sep. 22nd Sep. 23rd Sep. 24th Sep. 25th Sep. 26th Sep. 27th Sep. 28th Sep. 29th Sep. 30th Sep. 1st Oct. 2nd Oct. 3rd Oct. 4th Oct. 5th Oct. 6th Oct. 7th Oct. 8th Oct. 9th Oct. 10th Oct. 11th Oct. 12th Oct. 13th Oct. 14th Oct. 15th Oct. 16th Oct. 17th Oct. 18th Oct. 19th Oct. 20th Oct. 21st Oct. 22nd Oct. 23rd Oct. 24th Oct. 25th Oct. 26th Oct. 27th Oct. 28th Oct. 29th Oct. 30th Oct. 31st Oct. 1st Nov. 2nd Nov. 3rd Nov. 4th Nov. 5th Nov. 6th Nov. 7th Nov. 8th Nov. 9th Nov. 10th Nov. 11th Nov. 12th Nov. 13th Nov. 14th Nov. 15th Nov. 16th Nov. 17th Nov. 18th Nov. 19th Nov. 20th Nov. 21st Nov. 22nd Nov. 23rd Nov. 24th Nov. 25th Nov. 26th Nov. 27th Nov. 28th Nov. 29th Nov. 30th Nov. 1st Dec. 2nd Dec. 3rd Dec. 4th Dec. 5th Dec. 6th Dec. 7th Dec. 8th Dec. 9th Dec. 10th Dec. 11th Dec. 12th Dec. 13th Dec. 14th Dec. 15th Dec. 16th Dec. 17th Dec. 18th Dec. 19th Dec. 20th Dec. 21st Dec. 22nd Dec. 23rd Dec. 24th Dec. 25th Dec. 26th Dec. 27th Dec. 28th Dec. 29th Dec. 30th Dec. 31st Dec.

[illegible]

29. 31-4-2006 21:12 2006 21:12 2006 21:12

1918 2012 ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ 30 9 30 9 30 9

ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ବିବରଣୀ ଏହି ଟେବୁଲ୍‌ରେ ଦିଆଯାଇଛି।

3191 (अष्टिभ्यः लृट्) प्रा. लृटि य वनञिनां

[illegible]

John D. Jones - 1888 - 1900 - 1910 - 1920

861 609/1918, 607-66 696106

$$\text{THF} \xrightarrow{\text{LiAlH}_4} \text{THF} + 1$$

ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಮೇಲೆ... ಬಿಗಿ ಇರಬೇಕು

नैष्ठिक कार्यवाही निदरुण रक्षित

343. G. Mafuque e outros - E

K. P. 11

पुस्तक संख्या ७२५५ दिना २७/१२ मा २०१९-२०

[illegible]

कार्यालय ग्राम पंचायत करवरीकलां, जिला-बारां

क्रमांक :- 24-25

दिनांक :- 27-12-017

:- ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति :-

आज दिनांक 27-12-17 को ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति ~~द्वारा~~ बैठक सम्पन्न हुई। इसमें निर्मांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 एवं नियम-2008 तथा संशोधित नियम-2012 की धारा-3(1) व (3)2 के तहत प्रभावित वन भूमि पर उक्त अधिसूचना के तहत कुल 1.76... दावे प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अधिकार पत्र जारी करने की अनुशंसा ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति ~~द्वारा~~ द्वारा की गयी है तथा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति किशनगंज को अनुशंसा के साथ अग्रप्रेषित की गयी है। वर्तमान में अब कोई दावा (अधिकार पत्र) ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति ~~द्वारा~~ के समक्ष लम्बित या प्रक्रियाधीन नहीं है।

संबंधित ग्राम सभा द्वारा प्रभावित वन भूमि प्रत्यावर्तन की वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्रावधानानुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम-2006 एवं नियम-2008 तथा संशोधित नियम-2012 की धारा-3(1) व (3)2 के तहत हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए प्रभावित वन भूमि प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की जाती है।

क्र. स.	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा	हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र का रकबा
					हेक्टर	हेक्टर
1	2	3	4	5	6	7
1			मौजा, करवरीखुर्द	68/1, 340/1, 341/1, 337/1, 338/1, 339/1, 353/1	94.34	64.93
2	करवरीकलां	किशनगंज	गौजा, करवरीकलां	260, 284/276, 254/1, 255, 256, 614/280, 275/1, 274, 342, 265, 266, 267, 271, 273, 591/272, 345, 405/1, 514, 515, 516	404.03	151.65
			कुल योग	27	498.37	216.58

31/12/17
वनपाल

31/12/17
मनोनित सदस्य
अपपाल

31/12/17
ग्राम पंचायत करवरीकलां
मनोनित सदस्य
अपपाल

31/12/17
सरपंच ग्राम पंचायत करवरीकलां
मनोनित सदस्य

200171

सरपंच

10/10/10
10/10/10

10/1/14
M. J. J. J. J.

10014100

1153A

10/12-10/12

सचिव ग्रामीण विकास
ग्राम पंचायत, लि. ३३
३३

Proof

11/20/13

॥ २॥ २॥ ३॥

સાચી વાત કહેવાની જરૂર છે. - ૧૯૬૦

૩-૧૯૬૧-૧૭ મી. ૩૭.૩૭ મી. નો લાંબો
 ૫-૨૫૫૫૫ ગ્રામ્મી (જિલ્લા સ્તરે) નો નામ
 ૩-૧૭ મી. ૨૦૦૬ નો લાંબો - ૨૦૦૬ નો લાંબો
 ૧૭-૨૦૧૨ નો લાંબો ૩૭.૩૭ મી. નો
 ૧૭-૨૦૧૨ નો લાંબો ૩૭.૩૭ મી. નો
 ૧૭-૨૦૧૨ નો લાંબો ૩૭.૩૭ મી. નો

ક્રમ	વિષય	મુદત	કારણ	કારણ	કારણ
૧	૧૭-૨૦૧૨	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭
૨	૧૭-૨૦૧૨	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭
૩	૧૭-૨૦૧૨	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭
૪	૧૭-૨૦૧૨	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭
૫	૧૭-૨૦૧૨	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭
૬	૧૭-૨૦૧૨	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭
૭	૧૭-૨૦૧૨	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭
૮	૧૭-૨૦૧૨	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭
૯	૧૭-૨૦૧૨	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭
૧૦	૧૭-૨૦૧૨	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭	૩૭.૩૭

૩-૧૯૬૧ નો લાંબો ૩૭.૩૭ મી. નો લાંબો
 ૫-૨૫૫૫૫ ગ્રામ્મી (જિલ્લા સ્તરે) નો નામ
 ૩-૧૭ મી. ૨૦૦૬ નો લાંબો - ૨૦૦૬ નો લાંબો
 ૧૭-૨૦૧૨ નો લાંબો ૩૭.૩૭ મી. નો
 ૧૭-૨૦૧૨ નો લાંબો ૩૭.૩૭ મી. નો
 ૧૭-૨૦૧૨ નો લાંબો ૩૭.૩૭ મી. નો

સાચી વાત કહેવાની જરૂર છે. - ૧૯૬૦
 ૩-૧૯૬૧-૧૭ મી. ૩૭.૩૭ મી. નો લાંબો
 ૫-૨૫૫૫૫ ગ્રામ્મી (જિલ્લા સ્તરે) નો નામ
 ૩-૧૭ મી. ૨૦૦૬ નો લાંબો - ૨૦૦૬ નો લાંબો
 ૧૭-૨૦૧૨ નો લાંબો ૩૭.૩૭ મી. નો
 ૧૭-૨૦૧૨ નો લાંબો ૩૭.૩૭ મી. નો
 ૧૭-૨૦૧૨ નો લાંબો ૩૭.૩૭ મી. નો

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

बैठक कार्यवाही विवरण योजित

पञ्चांगत एभिर्दि...

தெளிவாக

2010-10-24

G.P. 11

पंकज दीक्षित, क. विमल

बैलकरो उपस्थित
रादर्यों के हस्ताक्षर

क्र.सं.	विवरण	दिनांक	पृष्ठ संख्या
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...

વિદ્યાર્થીનું નામ	વર્ગ અને સેક્ટર	સંસ્થા	તારીખ
વિદ્યાર્થીનું નામ	વર્ગ અને સેક્ટર	સંસ્થા	તારીખ
વિદ્યાર્થીનું નામ	વર્ગ અને સેક્ટર	સંસ્થા	તારીખ
વિદ્યાર્થીનું નામ	વર્ગ અને સેક્ટર	સંસ્થા	તારીખ
વિદ્યાર્થીનું નામ	વર્ગ અને સેક્ટર	સંસ્થા	તારીખ
વિદ્યાર્થીનું નામ	વર્ગ અને સેક્ટર	સંસ્થા	તારીખ
વિદ્યાર્થીનું નામ	વર્ગ અને સેક્ટર	સંસ્થા	તારીખ
વિદ્યાર્થીનું નામ	વર્ગ અને સેક્ટર	સંસ્થા	તારીખ
વિદ્યાર્થીનું નામ	વર્ગ અને સેક્ટર	સંસ્થા	તારીખ

सं.	ग्राम	ग्राम खसरा नं.	कुल रकबा बीघा-बीस्वा	रकबा जो डूब क्षेत्र में आ रहा है बीघा-बीस्वा	
1	मीजा बामनदह	115	260-06	30-00	
		117	14-10	14-10	
		118/1	208-15	05-00	
योग :-		3 खसरा नं.	483-11	49-10	8.01 हेक्टर
2	मीजा गोसैनपुरा चर्क बांस आमली	65	159-19	124-00	
		86/63	69-11	60-00	
		64	3-12	03-00	
		71	9-04	09-00	
		70	168-09	75-00	
		73/84	75-17	30-00	
		85/72	81-05	81-05	
योग :-		7 खसरा नं.	567-17	382-05	61.88 हेक्टर
3	मीजा करवरी खूद	68/1	65-10	65-10	
		340/1	86-00	86-00	
		341/1	34-06	34-06	
		337/1	0-05	0-05	
		338/1	1-07	01-07	
		339/1	183-14	183-14	
		353/1	211-15	30-00	
योग :-		7 खसरा नं.	582-17	401-02	64.93 हेक्टर
4	मीजा करवरीकलां	260	139-00	30-00	
		584/276	32-02	32-00	
		254/1	196-11	180-00	
		255	269-06	51-10	
		256	314-00	06-02	
		614/280	17-00	17-00	
		275/1	157-19	157-19	
		274	164-09	154-00	
		342	02-02	02-02	
		265	97-15	10-00	
		266	103-00	46-00	
		267	187-10	63-00	
		271	130-10	16-00	
		273	218-15	100-00	
		591/272	103-18	10-00	
		345	01-13	01-13	
		405/1	46-10	46-10	
		514	107-06	10-00	
		515	43-16	02-00	
		516	162-19	01-00	
योग :-		20 खसरा नं.	2496-01	936-17	151.65 हेक्टर
कुल योग :-		37 खसरा नं.	4130-06	1769-14	286.47 हेक्टर
				Say	286.50 हेक्टर